

(६८)
रीडर

24.6.24.
पत्रावली पत्र डूटी वही कदिवर आडपास्थि प्रमाण
लम्बे जग ले गमिल के नियत हो ~~अर्थ~~ ~~दूरतगत~~ प्रमाण
आ मूलकाड अडम - हाजी - अडम पैरवी मे खारिज हो जाने
से इस प्रकरण मे अब कोई कार्रवाही शक नही रहती है।
अतः आर्क्षणा प्रक इली स्तर पर आडम 9 नियम 8 के तहत
अडम हाजी अडम पैरवी मे खारिज किया जाता है।
निर्णय लेने इजलास खुनामा गया। प्रमाण फौजदारी
दोसरे नम्बर से कम है।

(रियासबी)
DAS